Atomic Energy Regulatory board safety Code

*167. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under India's Atomic Energy Regulatory Board Safety Code, the manufacturers/Suppliers of Cobalt therapy equipment must take design certification/type approval before such equipment can be manufactured/supplied in this country;

(b) if so, whether the ALCYON II Cobalt Unit, which is manufactured in France and is being offered to Indian Hospitals, got this design certification/type approval from the Board; and

(c) if not, what action is proposed against the manufacturer/supplier agent for offering or installing equipment without the necessary approval of the Regulatory Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) After publication of the safety code, Atomic Energy Regulatory Board has initiated procedures to implement safety requirements as prescribed in the code. Procedures for design certification of various equipment including Cobalt therapy equipment are being prepared by AERB. During the transition period, permission has been given for the import of radiation equipment including Alcyon-II unit, from reputed companies on a case by case basis. Compliance with safety requirements for these units has been checked before according approval for use. As such, no action is being envisaged against the manufacturer/supplier/agent of the Alcyon-II Cobalt unit.

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का कार्यकरण

*168. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, इस समय इस संयंत्र द्वारा कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इसके द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भविष्य में इसके विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परमाणु एकक संयंत्र में खराबी आ जाने के कारण उसे कितनी बार बंद करना पड़ा तथा क्या उस खराबी को अब ठीक कर दिया गया है तथा सरकार भविष्य में इसके सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता 440 मेगावाट (सकल) है जिसमें दो यूनिट है और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट है । गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान परमाणु बिजलीघर द्वारा पैदा की गई बिजली की मात्रा नीचे दी गई है :—

	बिजली उत्पादित (मिलियन यूनिट)	
वर्ष	राजस्थान परमाणु बिजली घर का पहला यूनिट	राजस्थान परमाणु बिजली घर का दूसरा यूनिट
1986	शून्य	1239
1987	218	1181
1988	473	1395

(ख) दो यूनिट जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट है (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा और चौथा यूनिट) का निर्माण किया जा रहा है। और चार यूनिट (रा.प.वि.प. के पांचवें से आठवें यूनिट तक) जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी, उसी स्थान पर स्थापित किए जाएंगे।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले और दूसरे यूनिट को जितनी बार-बार बन्द करना पड़ा, उसका उल्लेख नीचे किया गया है :

वर्ष	राजस्थान परमाणु बिजली घर पहला यूनिट	राजस्थान बिजली घर का दूसरा यूनिट
1986	बन्द रहा	11
1987	6	18
1988	19	15

जहां तक राजस्थान परमाणु बिजली घर के दूसरे यूनिट के कई बार बन्द रहने का प्रश्न है, यूनिट अधिकतर थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए बन्द रहा और इस यूनिट ने 1986, 87 और 1988 में क्रमशः 64%, 61% और 72% क्षमता गुणक प्राप्त किया है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी एक एंड शील्ड में हल्के पानी के रिसाव संबंधी कठिन समस्या का सामना करना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप यह यूनिट 1986 में बन्द रहा। रिमोट हैण्डलिंग औजारों और तकनीक की सहायता से रिसाव बन्द करने के लिए काफी प्रयास करने के बाद इस यूनिट को चालू किया गया और बाद में इस यूनिट को बिजली के उस निम्नस्तर पर चलाया गया जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया था। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट, दिसम्बर 1988 में एंड शील्ड में पुनः हल्के पानी का रिसाव होने तक, 1988 में अधिकतर आंशिक बिजलीघर कार्य करता रहा। रिसाव को बन्द करने और यूनिट को पुनः शरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

L.T.C. upto Indo-Nepal Border

*169. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government employees who travel upto Kathmandu or other parts of Nepal by road/rail, are allowed to avail of L.T.C. upto the Indo-Nepal border;

(b) whether it is also a fact that this facility is denied to the Central Government employees, who travel to Kathmandu or any other part of Nepal by air on the ground that they have not touched the border;

(c) whether the Indo-Nepal air space is defined; and

(d) if so, the reasons for which the Central Government employees are not given L.T.C. upto India's border when they travel by air?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The facility of leave travel concession is admissible to Central Government employees for visiting their home-towns and/or any other place declared in advance, within the territory of India. While it is permissible to take a circuitous route to visit the home-town or the declared place or to extend the journey therefrom for visiting other places within or outside India, the home-town or the declared place within the territory of India must actually be visited and the claim is also restricted to that place by shortest direct route. Therefore, while a Government servant visiting his home-town or the declared place within the Indian territory and extending his journey to Kathmandu, is entitled to reimbursement under L.T.C. scheme upto the home-town